<u>फर्द अहकाम</u>

<u>(नियम 15)</u>

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

अशोक सिघंल बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बरः– 38 सन् 2019
RCMS No. 2019/00081

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.10.19	*यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री अशोक सिंघल (आर0टी0आई कार्यकर्त्ता) निवासी लाल बाजार जिला धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर धौलपुर) द्वारा जवाब नहीं दिये जाने के कारण पेश की है। अपील का अवलोकन कर ननन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रैस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी प्राप्त की जावे। अपीलान्ट को भी आगामी तारीख पेशी की सूचना भिजवाई जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार टिप्पणी हेतु आगामी तारीख पेशी 4.11.2019 को पेश हो।* जिला कलक्टर धौलपुर	692-93 23.10.19
4.11.19	अपीलान्ट अनुपस्थित। रैस्पोडेन्ट की ओर से टिप्पणी प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। P.O. साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली मुताबिक दिनांक 5.11.2019 को पेश हो।	
5.11.19	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर धौलपुर) से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया कि अपीलान्ट को पत्रांक 6316 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा सूचित किया गया था कि 4 पृष्ठ के लिए 2 रुपये प्रति पेज की दर से 8 रुपये	

का शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त करें। अपीलार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने बाबत निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा जा चुका है। सूचना उपलब्ध कराने बाबत कोई देरी नहीं की गई है। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को लिखा जा चुका था। इसलिए लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुये प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार हो। बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। नम्बर से कम किया जावे।

7/1/13

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर